कार्यालय सेनानायक एसडीआरएफ वाहिनी जौलीग्राण्ट देहरादून।

पत्रांकः- एसटी-सीओ0-विविध/2020 दिनांकः-मार्च 17 ,2020

सेवा में ,

पुलिस महानिरीक्षक,
एसडीआरएफ उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने के फलस्वरुप निर्देशानुसार एसडीआरएफ द्वारा दिनांकः-16-03-2020 को इस सम्बन्ध में मॉकड्रिल करवायी गयी,जो उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार गोपनीय रखी गयी, जिससे राज्य में अफरा-तफरी का एवं भय का माहौल उत्पन्न न हो । इसी क्रम में समस्त जनपदों से गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त की गयी है, जिसमें भविष्य में यदि कोरोना वायरस उच्च स्तर पर फैलता है तो निम्न प्रकार की सावधानियाँ एवं तैयारियाँ जनपद स्तर पर की जानी आवश्यक प्रतीत होती हैः-

1- जनपद कन्ट्रोल रुम में जो भी फोन हेल्पलाईन नम्बरों पर आता है, सामान्य रुप से 100 ,108 अथवा 112 हेल्पलाईन नम्बर पर ही आता है, किन्तु 104 हेल्पलाईन नम्बर का भी व्यापक रुप से प्रचार एवं प्रसार किया जाय 108,100,112 पर एवं पुलिस कन्ट्रोल रुम में सम्बन्धित जनपद के समस्त कोरोना वायरस सम्बन्धी नोडल अधिकारियों के फोन नम्बर देना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त जनपद में जिस भी एम्बुलेंस / वाहन द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को ले जाया जाना प्रस्तावित है, उस वाहन का नम्बर व ड्राईवर एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित नोडल अधिकारी का फोन नम्बर भी अपने जनपद के कन्ट्रोल रुम में भेजना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण नम्बर कन्ट्रोल रुम में आवश्यक रुप से उपलब्ध होने चाहिये।

2- जनपद में जितने भी आईसोलेशन वार्ड हैं ,समस्त को स्वास्थ्य विभाग से समनव्य स्थापित करते हुये चिन्हित कर उनके फोन नम्बर भी कन्ट्रोल रुम में अंकित किये जायें। इसके अतिरिक्त आईसोलेशन वार्डों में भोजन, बिजली ,पानी एवं शौचालय आदि की व्यवस्था पूर्ण रुप से व्यवस्थित की जाये।

3- संक्रमित व्यक्ति को जिस भी वाहन में ले जाया जाये तो उस वाहन के ड्राईवर एवं संक्रमित व्यक्ति के साथ जो हो उसे पर्याप्त पी0पी0ई0/मास्क धारण किये हुये होना चाहिये ताकि संक्रमण अनावश्यक रुप से न फैले ।

4- संक्रमित व्यक्ति को वाहन से उतारने के उपरान्त वाहन का शुद्धिकरण (डीकन्टामिनेशन) अवश्य किया जाये एवं जिस सामग्री को उस व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया हो उन वस्तुओं का भी शुद्धिकरण एवं सेनेटाईज ठीक ढंग से किया जाये।

5- जनपद स्तर पर उक्त रोग के लक्षण जिस व्यक्ति पर प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो,उसके सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बनायी गयी टीम को तत्काल सूचित किया जाये ।

6- जिस आईसोलेशन वार्ड में संक्रमित व्यक्ति को भर्ती कराया गया है, उस वार्ड में कार्यरत कर्मियों द्वारा भी पर्याप्त पी0पी0ई0 का प्रयोग किया जाय एवं जिस डस्टबिन में संक्रमित व्यक्ति द्वारा खाये गये किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ के पैकेट /फॉयल पेपर आदि को फेंका जाता है,उस डस्टबिन का डिस्पोजल ठीक ढंग से किया जाये ।

7- आईसोलेशन वार्ड में यदि कोई कर्मी संक्रमित व्यक्ति के समीप 01 मीटर की परिधि तक रहता है, तो उसके द्वारा (के0एन0 95 मास्क)का प्रयोग किया जाय एवं जो दूर है, उनके द्वारा ट्रिपल लेयर मास्क अवश्य धारण किया जाये । इसके अतिरिक्त जो संक्रमित व्यक्ति का सैंपल लेता है वह फुल सूट (जो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है) को धारण कराया जाये ।

8- आईसोलेशन वार्ड के बाहर कोरोना वायरस के सम्बन्ध में DO & DONT,S सम्बन्धी निर्देश स्पष्ट रुप से अंकित किये जायें तथा सेनेटाईजेशन की उचित व्यवस्था की जाये।

9- जनपद स्तर पर उपलब्ध एम्बुलेन्स के अतिरिक्त 04-05 अतिरिक्त वाहनों (मिनी बस, टाटा सूमों , वैन आदि को चिन्हित कर लिया जाये जिन्हे आवश्यकता पडने पर संक्रमित व्यक्तियों को लाने /ले जाने में प्रयोग किया जा सके।

10- समस्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को सुनिश्चित करते हुये आईसोलेशन वार्डो में संक्रमित व्यक्तियों की निगरानी एवं सुरक्षा उचित होनी चाहिये, ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति भाग न जाये, जिस से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न न हो।

अतः कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित किये जाने हेतु उक्त बिन्दुओ पर कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा। अतः कृपया सम्बन्धित से पत्राचार करने का कष्ट करें।

सेनानायक,
एसडीआरएफ वाहिनी,
जौलीग्राण्ट देहरादून।

<u>प्रतिलिपिः-</u> <u>निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः-</u>

1- पुलिस महानिदेशक,अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- सचिव आपदा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3- पुलिस महानिरीक्षक गढवाल परिक्षेत्र उत्तराखण्ड देहरादून।
4- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
5- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) उत्तराखण्ड शासन।
6- पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र उत्तराखण्ड नैनीताल।
7- पुलिस महानिदेशक के सहायक उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून।
8- डॉ0 पंकज सिंह , प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग।